संख्याः 17/2020/सा-3-465/दस-2020-26/98

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय
लखनऊ।
2.वित्त नियंत्रक,
पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 नवम्बर, 2020

विषयः पुलिस विभाग के समूह 'घ' के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-10/2020/सा-3-221/ दस-2020-26/98 दिनांक 15-05-2020 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि समूह 'घ' के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कार्यालयाध्यक्षों के स्थान पर मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कार्यालयों द्वारा किया जायेगा।

2- शासनादेश संख्या-सा-3-1338/दस-912/85 दिनांक 16-07-1985 द्वारा पुलिस विभाग के समूह 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का कार्य वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय को प्रतिनिधानित किया गया। शासनादेश संख्या-सा-3-697/दस-26/98 दिनांक 08-10-1999 द्वारा समूह 'ख' एवं 'ग' के समस्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का कार्य मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन को सौंपा गया परन्तु शासनादेश संख्या-सा-3-1792/दस-26/98 दिनांक 15 नवंबर, 2000 द्वारा पुलिस विभाग के समूह 'ख' एवं 'ग' के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण का कार्य मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन से हटाकर वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को पुनः प्रतिनिधानित किया गया।

इस प्रकार, सम्प्रति पुलिस विभाग के समूह 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की पेंशन वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्ववत् स्वीकृत की जा रही है जबकि अन्य सरकारी विभागों के समूह 'ख ' एवं 'ग ' के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण मण्डलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन द्वारा किया जा रहा है ।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस विभाग के समूह 'घ' के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का भी निस्तारण वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

4- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा ऐसे प्रकरण जिनमें समूह 'घ' का कोई कर्मचारी इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ हो परंतु उसका पेंशन भुगतान आदेश इस शासनादेश के निर्गत होने तक जारी न किया गया हो, भी इस आदेश से आच्छादित होंगे।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या: 17/2020/सा-3-465(1)/दस-2020-26/98 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इंदिरा भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

पुष्पराज
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।